

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मांक / रीडर / 2021 / 14

दिनांक :- 04.12.2021

मुकदमा नंबर 17 / 2019

| प्राथी | बनाम | विप्राथीगण |
|---|------|--|
| 1. झूमरलाल पुत्र हरीरामजी जाति ब्राम्हण निवासी ग्वालनाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर | | 1. किशोरकुमार पुत्र करनारामजी जाति ब्राम्हण 2. श्रवणकुमार पुत्र करनारामजी जाति ब्राम्हण 3. अशोककुमार पु करनारामजी जाति ब्राम्हण 4. दिनेशकुमार पुत्र करनारामजी जाति ब्राम्हण 5. श्रीमति सुगनकंवर बैवा करनारामजी जाति ब्राम्हण निवासीयान ग्वालनाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 6. गोपीकिशन पुत्र तुलसीरामजी जाति ब्राम्हण 7. दुर्गाराम पुत्र तुलसीरामजी जाति ब्राम्हण 8. हड़मानराम पुत्र मोहनरामजी जाति ब्राम्हण 9. नारायणराम पुत्र मोहनरामजी जाति ब्राम्हण 10. परबतराम पुत्र मोहनरामजी जाति ब्राम्हण 11. सुमेरराम पुत्र मोहनरामजी जाति ब्राम्हण 12. बालुसिंह पुत्र हमीरसिंहजी जाति राजपुत 13. पर्वतसिंह पुत्र हमीरसिंहजी जाति राजपुत 14. विजयसिंह पुत्र हमीरसिंहजी जाति राजपुत 15. सवाईसिंह पुत्र हमीरसिंहजी जाति राजपुत 16. सुभनकंवर पुत्री हमीरसिंहजी जाति राजपुत 17. श्रीमति गंगाकंवर बैवा हमीरसिंहजी जाति राजपुत 18. खंगारसिंह पुत्र सुरतानसिंहजी जाति राजपुत 19. प्रेमसिंह पुत्र सुरतानसिंहजी जाति राजपुत 20. रिदिनाथसिंह पुत्र सुरतानसिंहजी जाति राजपुत 21. हनुमानसिंह पुत्र सुरतानसिंहजी जाति राजपुत 22. श्रीमति भंवरकंवर बैवा सुरतानसिंहजी जाति राजपुत निवासीयान ग्वालनाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 23. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार |

आदेश

दिनांक :- 24.12.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा ग्वालनाडा पटवार हल्का ग्वालनाडा तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 485/21 रकबा 29 बीघा 12 विस्वा सरहद विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपय 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



मांक / रीडर / 2021 / 15

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।

(नरेश सोनी)
उप सहायक अधिकारी,
बालोतरा (बाडमेर)

दिनांक :- 4/1/22

(नरेश सोनी)
उप सहायक अधिकारी,
बालोतरा (बाडमेर)